

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०,
विशाल काम्प्लेक्स, 19-ए, विधान सभा मार्ग
लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक-एन०एच०एम०,
उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या: एम०पी०एम०यू०/एम०आई०एस०/एम०सी०टी०एस० ऑपरेटर/2015-16/51-इ/7648-2 दिनांक: 29/10/2015

विषय : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 हेतु ब्लॉक स्तर पर संविदा पर कार्यरत ब्लॉक एम०सी०टी०एस० डेटा-इंट्री ऑपरेटर के 9 माह के मानदेय तथा एरियर की धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत ही हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु स्वीकृत मानदेय रू० 11,550.00 प्रति ब्लॉक एम०सी०टी०एस० ऑपरेटर प्रति माह की दर से वित्तीय वर्ष 2015-16 में एम०पी०एम०यू० कार्यालय के पत्र सं०-एम०पी०एम०यू०/एम०आई०एस०/ब्लॉक डेटा-इंट्री ऑपरेटर्स/2015-16/51-इ/3083 दिनांक 10-08-2015 के माध्यम से कुल धनराशि रू० 5,68,26,000.00 (रुपये पाँच करोड़ अड़सठ लाख छब्बीस हजार मात्र) की धनराशि पूर्व में ही अवमुक्त की जा चुकी है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार के निर्देशानुसार एम०सी०टी०एस० पोर्टल पर ऑनलाइन शत-प्रतिशत डेटा फीडिंग का कार्य ब्लॉक स्तर पर एम०सी०टी०एस० डेटा-इंट्री ऑपरेटर द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार के निर्देशानुसार एम०सी०टी०एस० पोर्टल पर शतप्रतिशत फैसिलिटी वेस्ड डेटा अपलोडिंग का कार्य ब्लॉक स्तर तथा जनपद स्तर पर किया जाना है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पी०आई०पी० 2015-16 में मिशन फ्लैक्सीपूल मद के उपमद एम०सी०टी०एस०/एच०एम०आई०एस० में, निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया है:-

"Approved for Data Entry Operators at Block level @ Rs. 12,127/- per month per data entry operator including increment of 5% over previous year's charges. The activity should be carried out on outsourcing basis. Outsourcing should be based on competitive bidding following Government protocols. State should formulate qualifications and experience criteria for candidates. The candidates shortlisted by the agency should be screened by District Health Society / State Health Society to ensure quality of the selected candidates. State must ensure the registration and service delivery updation status of the beneficiary should improve on MCTS portal and 100% facility based reporting on HMIS portal. The unspent balance of previous year against this activity should be absorbed in the approved amount."

उपरोक्त के क्रम में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत आर०ओ०पी० 2015-16 में मिशन फ्लैक्सीपूल के एफ०एम०आर० कोड नम्बर B-15.3.1.2 "Data Entry Operators at Block Level" में एम०सी०टी०एस० पोर्टल के सफल संचालन हेतु ब्लॉक स्तर पर डेटा इंट्री ऑपरेटर्स के मानदेय हेतु रू० 12,127.00 प्रतिमाह की दर निम्नानुसार स्वीकृत किया गया है।

No.	Division	Districts	No. of Block MCTS computer	Approved @ Rs 12,127.00/ month/ operator for 820 Block MCTS operator for 12 months.	Amount already transferred to the Districts @ Rs 11,550.00 for 6 months for 820 Block MCTS operator.	Amount proposed for the Districts @ Rs 12,127.00 for 6 months for 820 Block MCTS operator as salary including Arrear for 6 months @ Rs 577.00/operator /month .
1	2	3	4	5 (Col. 4 X Rs 12127X12 months)	6 (Col. 4X Rs 11550X 6 months)	7 (Col 5- Col 6)
1	Agra	Agra	15	2182860	1039500	1143360
2	Agra	Firozabad	9	1309716	623700	686016
3	Agra	Mainpuri	9	1309716	623700	686016
4	Agra	Mathura	10	1455240	693000	762240
5	Aligarh	Aligarh	12	1746288	831600	914688
6	Aligarh	Etah	8	1164192	554400	609792
7	Aligarh	Hathras	7	1018668	485100	533568
8	Aligarh	Kashganj	7	1018668	485100	533568
9	Allahabad	Allahabad	20	2910480	1386000	1524480
10	Allahabad	Fatehpur	13	1891812	900900	990912
11	Allahabad	Kaushambi	8	1164192	554400	609792
12	Allahabad	Pratapgarh	17	2473908	1178100	1295808
13	Azamgarh	Azamgarh	22	3201528	1524600	1676928
14	Azamgarh	Ballia	17	2473908	1178100	1295808
15	Azamgarh	Mau	9	1309716	623700	686016
16	Bareilly	Bareilly	15	2182860	1039500	1143360
17	Bareilly	Budaun	15	2182860	1039500	1143360
18	Bareilly	Pilibhit	7	1018668	485100	533568
19	Bareilly	Shahjahanpur	15	2182860	1039500	1143360
20	Basti	Basti	14	2037336	970200	1067136
21	Basti	Sant K Nagar	9	1309716	623700	686016
22	Basti	Siddharth N	14	2037336	970200	1067136
23	Chitrakoot	Banda	8	1164192	554400	609792
24	Chitrakoot	Chitrakoot	5	727620	346500	381120
25	Chitrakoot	Hamirpur	7	1018668	485100	533568
26	Chitrakoot	Mahoba	4	582096	277200	304896
27	Devipatan	Bahraich	14	2037336	970200	1067136
28	Devipatan	Balrampur	9	1309716	623700	686016
29	Devipatan	Gonda	16	2328384	1108800	1219584
30	Devipatan	Shrawasti	5	727620	346500	381120
31	Faizabad	Ambedkar N	9	1309716	623700	686016
32	Faizabad	Amethi	13	1891812	900900	990912
33	Faizabad	Barabanki	15	2182860	1039500	1143360
34	Faizabad	Faizabad	11	1600764	762300	838464
35	Faizabad	Sultanpur	13	1891812	900900	990912
36	Gorakhpur	Deoria	16	2328384	1108800	1219584

No.	Division	Districts	No. of Block MCTS computer	Approved @ Rs 12,127.00/month/operator for 820 Block MCTS operator for 12 months.	Amount already transferred to the Districts @ Rs 11,550.00 for 6 months for 820 Block MCTS operator.	Amount proposed for the Districts @ Rs 12,127.00 for 6 months for 820 Block MCTS operator as salary including Arrear for 6 months @ Rs 577.00/operator/month .
37	Gorakhpur	Gorakhpur	19	2764956	1316700	1448256
38	Gorakhpur	Kushinagar	14	2037336	970200	1067136
39	Gorakhpur	Maharajganj	12	1746288	831600	914688
40	Jhansi	Jalaun	9	1309716	623700	686016
41	Jhansi	Jhansi	8	1164192	554400	609792
42	Jhansi	Lalitpur	6	873144	415800	457344
43	Kanpur	Farrukhabad	7	1018668	485100	533568
44	Kanpur	Auraiya	7	1018668	485100	533568
45	Kanpur	Etawah	8	1164192	554400	609792
46	Kanpur	Kannauj	8	1164192	554400	609792
47	Kanpur	Kanpur Dehat	10	1455240	693000	762240
48	Kanpur	Kanpur Nagar	10	1455240	693000	762240
49	Lucknow	Hardoi	19	2764956	1316700	1448256
50	Lucknow	Lakhimpur K	15	2182860	1039500	1143360
51	Lucknow	Lucknow	8	1164192	554400	609792
52	Lucknow	Rae Bareli	18	2619432	1247400	1372032
53	Lucknow	Sitapur	19	2764956	1316700	1448256
54	Lucknow	Unnav	16	2328384	1108800	1219584
55	Meerut	Bagpat	6	873144	415800	457344
56	Meerut	Bulandshahar	16	2328384	1108800	1219584
57	Meerut	G B Nagar	4	582096	277200	304896
58	Meerut	Ghaziabad	4	582096	277200	304896
59	Meerut	Hapur	4	582096	277200	304896
60	Meerut	Meerut	12	1746288	831600	914688
61	Mirzapur	Mirzapur	12	1746288	831600	914688
62	Mirzapur	Sonbhadra	8	1164192	554400	609792
63	Mirzapur	SRavidas N	6	873144	415800	457344
64	Moradabad	Bijnor	11	1600764	762300	838464
65	Moradabad	JP Nagar	6	873144	415800	457344
66	Moradabad	Moradabad	8	1164192	554400	609792
67	Moradabad	Rampur	6	873144	415800	457344
68	Moradabad	Sambhal	8	1164192	554400	609792
69	Saharanpur	Muzaffarnagar	9	1309716	623700	686016
70	Saharanpur	Saharanpur	11	1600764	762300	838464
71	Saharanpur	Shamli	5	727620	346500	381120
72	Varanasi	Chandauli	9	1309716	623700	686016
73	Varanasi	Ghazipur	16	2328384	1108800	1219584
74	Varanasi	Jaunpur	21	3056004	1455300	1600704
75	Varanasi	Varanasi	8	1164192	554400	609792

No.	Division	Districts	No. of Block MCTS computer	Approved @ Rs 12,127.00/month/operator for 820 Block MCTS operator for 12 months.	Amount already transferred to the Districts @ Rs 11,550.00 for 6 months for 820 Block MCTS operator.	Amount proposed for the Districts @ Rs 12,127.00 for 6 months for 820 Block MCTS operator as salary including Arrear for 6 months @ Rs 577.00/operator/month.
		TOTAL	820	119329680	56826000	62503680

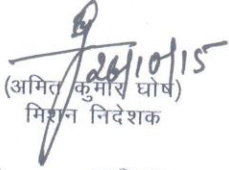
₹ 6,25,03,680.00 (रुपये छः करोड़ पच्चीस लाख तीन हजार छः सौ अस्सी मात्र)

उपर्युक्त दी गई फांट के अनुसार तैनात किये गये समस्त ब्लॉक एम0सी0टी0एस0 डेटा-इंट्री ऑपरेटर के मानदेय का भुगतान वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार एफ0एम0आर0 कोड संख्या बी15.3.1.2 से किया जायेगा। उक्त धनराशियों का व्यय "आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट" में दी गयी व्यवस्था तथा अन्य प्रभावी संगत नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुये सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही किया जाय। निम्न निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करें।

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु आपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारों की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. जिला स्वास्थ्य समित एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियों समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
5. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
6. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहे।
7. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल बाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट ऑडिटर, स्टेटच्यूरी ऑडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
9. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफार्मेन्स आडिट रिपोर्ट में उलाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी रस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा कराये गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय


(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या:एस0पी0एम0यू/एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0 आपरैटर/2015-16/51-इ/

तददिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त महाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0 एवं महाप्रबन्धक-एम0आई0एस0, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
9. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक-एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।


(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक